सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 1998/00041

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : डा.गुंजन सोनी आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 164 / 1998

(राज0उप0 अधि0 की धारा 11 / 14)

1. हरभजन सिंह उर्फ भजन सिंह पुत्र दिलबाग सिंह जाति जटसिख निवासी 5 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

प्रार्थी

बनाम

1. रूल्दूराम पुत्र ईशरराम जाति चमार सा0 5 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित : श्री बलदेव सिंह अधिवक्ता प्रार्थी
श्री मोहनलाल छाबड़ा, अधिवक्ता अप्रार्थी

आदेश दिनांक :29.10.2020

प्रस्तुत शिकायत का सार है कि अप्रार्थी ने चक 5 पीएस के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 18 ता 25 कुल 8.00 बीघा रकबा भूमि तहसील रायसिंहनगर में गलत तथ्य प्रस्तुत करके अलाटमेन्ट करवा रखी है जो काबिले इखराजी के है। अप्रार्थी न तो राजस्थान का मूल निवासी है और ना ही काश्तकार पेशा है। अप्रार्थी पंजाब का रहने वाला है अप्रार्थी गांव मल्लपुर अड़का जिला जालन्धर का रहने वाला है और अप्रार्थी गलत तौर पर राजस्थान का मूल निवासी बनकर अलाटमेंन्ट करवाई जाकर पंजाब का रहने वाला है। अप्रार्थी के पास पहले ही चक नम्बर 5 पीएस में मुरब्बा नम्बर 39 के 6 बीघा , किला नम्बर 1 ता 6 रकबा है लेकिन अप्रार्थी वरवक्त अलाटमेंट करवाते हुए इस आराजी को छुपाकर वा गलत शपथ–पत्र प्रस्तुत करके अलाटमेंन्ट करायी है इसलिये उपरोक्त अलाटमेन्ट अप्रार्थी निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी ने इन्द्रा गांधी नहर पर भी 50 बीघा जमीन अलाटमेंट करवा रखी है। वहां पर भी अप्रार्थी ने चक 5 पीएस तहसील रायसिंहनगर की अलाटमेन्ट को छुपाकर गलत हलफनामा प्रस्तुत करके अलाटमेंट करायी है। लिहाजा दरखास्त प्रस्तुत करके अर्ज है कि उक्त आराजी जो अप्रार्थी द्वारा दूबारा गलत तथ्य् प्रस्तुत करके अलाटमेंट करायी है को निरस्त किया जावें तथा रकबा बहक सरकार लिया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपना जबाब प्रस्तुत कर जबाब में कथन किया कि आवंटन नियमानुसार करवाया गया है। अप्रार्थी राजस्थान का निवासी है एवंम आवंटन के वक्त किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है। प्रार्थी ने केवल 30 बीघा बारानी भूमि जो कि 10.00 बीघा नहरी भूमि के तुल्य है आवंटन करवायी है। अप्रार्थी द्वारा किसी भी तथ्य को छुपाया नही है ना ही अप्रार्थी के पास 25.00 बीघा नहरी भूमि से अधिक भूमि है। हरभजन सिंह स्वर्ण जाति का है एवं प्रभावशाली व्यक्ति है एवंम मुझ प्रार्थी को जो कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति है को नाहक तंग व परेशान करने की झूठी शिकायत करवाता है। आवंटन को भी काफी वर्ष बीत चुके है। लिहाजा जवाब स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र धारा 11 व 14 राज0 उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत खारिज फरमाय। जावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी एवं प्रार्थी के अधिवक्ता को बार–बार आवाजे लगाई गई उपस्थित नहीं।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि प्रार्थी/शिकायतकर्ता ने जहां अपने प्रार्थना पत्र में यह तथ्य अंकित किया है कि अप्रार्थी ने चक 5 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर का मुरब्बा नम्बर 16 का किला नम्बर 18 ता 25 कुल 8 बीघा गलत तथ्य प्रस्तुत कर आवंटन करवा रखी है, रिकॉर्ड के विपरीत तथ्य होने के कारण गलत है क्योंकि उक्त 8 बीघा भूमि न तो अप्रार्थी को आवंटन हुई है एव ना ही इस भूमि से अप्रार्थी का कोई सरोकार है। इस सम्बन्ध में सम्वत् 2057 से 2060 की जमाबन्दी की प्रति प्रस्तुत है जिसके अनुसार उक्त 8 बीघा भूमि सोहन सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति जटसिख एवं अमरीक सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति जटसिख की खातेदारी भूमि है इसलिये प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य गलत होने के कारण प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी है जिसके सम्बन्ध में वरवक्त आवंटन समुचित दस्तावेजी साक्ष्य आवंटन पत्रावली में प्रस्तुत कर ही 30 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन करवाया गया एव ना ही किसी तथ्य को छुपाया ही गया। वैसे भी विधिक प्रावधानों के अनुसार ऐसे तथ्यों के आधार पर आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है।

शिकायत प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में जहां यह तथ्य अंकित किये गये है कि अप्रार्थी ने इन्द्रा गांधी नहर पर 40 बीघा जमीन आवंटन करवा रखी है तो यह तथ्य भी रिकॉर्ड के विपरीत होने के कारण स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी तहसील रायसिंहनगर के चक 16 पी का खसरा संख्या 99/51 में किला नम्बर 1 ता 13 एवं 18 ता 23 कुल 19.00 बीघा अनकमाण्ड एवं चक 17 पी का खसरा संख्या 97/7 का किला नम्बर 1 ता 3, 9 ता 11, 16 एवं 20 ता 25 कुल 13 बीघा अनकमाण्ड तादादी कुल 32 बीघा अनकमाण्ड भूमि दिनांक 30.12.1980 को आवंटन हुई थी जिसकी आवंटन की तमाम राशि 8400/–रूपये जमा होने के उपरान्त दोनो चकों में से एक एक बीघा भूमि कम होने के उपरान्त कुल 30 बीघा अनकमाण्ड भूमि की खातेदार सनद् संख्या 054279 दिनांक 16.12.1994 को जारी हो गयी। आवंटन आदेश , राशि जमा होने के चालान एवं सनद् की चित्र प्रतियां सलंग्न है। उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि आवंटी/ अप्रार्थी के द्वारा न तो आंवटन करवायी गयी है एव ना ही अप्रार्थी के पास है। अप्रार्थी को आवंटित हुई अनकमाण्ड भूमियों की जमाबन्दी की प्रति भी सलंग्न है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों एवं राजस्व मण्डल के अनेको मतो अनुसार आवंटन होने के 40 वर्ष उपरान्त एवं खातेदारी सनद् जारी होने के अर्सो 26 वर्ष उपरान्त आवंटन किसी भी प्रकार से धारा 11/14 के अन्तर्गत निरस्त नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत दस्तावेजों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसरण में प्रमाणित है कि शिकायत वेग तथ्यों पर आधारहीन एवं साक्ष्यविहिन प्रस्तुत की गयी है जिसमें अंकित तथ्यों के समर्थन में न तो शिकायतकर्ता की ओर से कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत की गयी एव ना ही स्टेट की

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गयी। इसलिये शिकायत प्रकरण निरस्त किये जाने योग्य है।

शिकायत प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में जहां यह तथ्य शिकायतकर्ता के द्वारा अंकित किये है कि अप्रार्थी के पास तहसील रायसिंहनगर के चक 5 पी.एस. का मुरब्बा नम्बर 39 में किला नम्बर 1 ता 6 कुल 6 बीघा है, तो यह तथ्य भी रिकॉर्ड के विपरीत होने के कारण गलत है क्योंकि यह 6 बीघा अप्रार्थी की नहीं वरन् यह भूमि बुटाराम वगैरा की मुश्तरका खाता की भूमि है जिससे अप्रार्थी का कोई सरोकार नहीं है। इसलिये भी प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर की रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 18 ता 24, 7.00 बीघा एवं 25 की 0.18 बीघा कुल 7.18 बीघा नहरी माफी कोटवाल को पुख्ता आवंटन होकर जमाबन्दी सम्वत् 2025 से 20 28 गैरखातेदार दर्ज है। एवंम मुरब्बा नम्बर 16 पुराना व नया 15 के किला नम्बर 18/.253, 19/.253, 20/.253, 21/.253, 22 में .253, 24/.253, 25/.228 कुल 1.999 हैक्टर बारानी भूमि व मु.नं.38 के किला नम्बर 1 में .253, 2/.253, 3/.253, 4/.253, 5/.228, 6/.228 कुल 1.468 हैक्टर बारानी भूमि मिसल बन्दोबस्त में खातेदारी दर्ज होना बताया है।

शिकायतकर्ता द्वारा वर्ष 1998 में उक्त शिकायत प्रस्तुत करने के उपरान्त आज दिनांक तक कोई ऐसा दस्तावेजात पेश नहीं किया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अप्रार्थी के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि धारण करता हो। शिकायतकर्ता द्वारा यह कह देना कि वह अप्रार्थी पंजाब का निवासी होने के कारण आवंटन का पात्र नहीं है। पंजाब निवासी होने का कोई भी तथ्य पेश नहीं किया। आवंटन अधिकारी द्वारा अप्रार्थी को भूमि आवंटित की गई है। आवंटन के वक्त आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान का निवासी होने के दस्तावेजात लिये जाकर ही आवंटन किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत शिकायत/आवेदन सद्भाविक नहीं है।

निष्कर्षतः, शिकायतकर्ता की शिकायत सारहीन और सुदीर्घ अवधि होने से खारिज की जाती है। आदेश की एक प्रति संबंधित तहसीलदार को एवं आदेश की एक प्रति मय रेकार्ड विधि परीक्षण हेतु विधि प्रकोष्ठ को भिजवाया जावे।

आदेश आज दिनांक 29.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. गुंजन सोनी)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्री गंगानगर।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)